



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1943 (श10)
(सं0 पटना 673) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2021

fof/k foHkx

अधिसूचना

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०-01-19/2021-4278/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT; iky ds vkn\$ k l §
पी०सी०चौधरी,
ljdkj ds l fpoA

[fcglj vf/fku; e 16] 2021]

fcglj eky vls l ok dj ¼ akku½vf/fku; e] 2021

fy, vf/fku; eA
 2017 ¼fcglj vf/fku; e&12] 2017½dk l akku djust ds

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1- l fkr uke vls i j A&

- (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2- /kjk 7 dk l akkuA& बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसको पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :

"(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार:"।

Li "Vhclj . k& इस खंड के प्रयोजनों के लिए , यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अतिर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।

3- /kjk 16 dk l akkuA& मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्योरे पूर्तिकार द्वारा बर्हिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्योरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।"

4- /kjk 35 dk l akkuA& मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

5- /kjk 44 ds LFku ij] ubZ/kjk dk i frLFkuA& मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"44. वार्षिक विवरणी- किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जिसे विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा:

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफरिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छुट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यक्षीन हैं, लागू नहीं होगी।"

6- /kjk 50 dk l akkuA& मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में

धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत किया जाता है।”

7- /kjk 74 dk l a&kuA& मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, “तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “तो धारा 122 और धारा 125 के” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

8. /kjk 75 dk l a&kuA& मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्वनिर्धारित कर” पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।”

9- /kjk 83 dk l a&kuA& मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।”

10- /kjk 107 dk l a&kuA& मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।”।

11- /kjk 129 dk l a&kuA& मूल अधिनियम की धारा 129 में,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है:

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है:”

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा :

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात् उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।”

(iv) उपधारा (4) में, “कर, ब्याज या शास्ति” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा:

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन,

उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रूपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी ।” ।

12- /kjk 130 dk l a&kuA& मूल अधिनियम की धारा 130 में,—

(क) उपधारा (1) में, “इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई” शब्दों के स्थान पर, “जहां” शब्द रखा जाएगा:

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, “धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति” शब्द रखे जाएंगे :

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

13- /kjk 151 ds LFku ij] ubZ/kjk dk i frLFki uA& मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“151. सूचना मांगने की शक्ति — आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।” ।

14- /kjk 152 dk l a&kuA& मूल अधिनियम की धारा 152 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “कोई व्यक्ति विवरणी या उसके भाग की” शब्दों का लोप किया जाएगा:

(ii) “ऐसी सूचना” शब्दों के पश्चात् “संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे :

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

15- vuq ph 2 dk l a&kuA& मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 का 1 जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और उक्त तारीख से उसका लोप हुआ समझा जाएगा।

16- ok.kT; &dj foHx dh vf/kI puk l q; k , l Ov 183] fnukd 25 uoEcj] 2020 dk Havy{kh #i ls cHoh fd; k t kuA& वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 183, दिनांक 25 नवम्बर, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या- 909, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को 1 अक्टूबर, 2020 से आरंभ होने वाली और 24 नवम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान भूतलक्षी रूप से प्रभावी समझा जाएगा।

i kEl kfp&kjh
l jdkj dsl fpoA

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०-01-19/2021&4279@yt—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2021 को अनुमत fcgkj eky vls l ok dj ¼ a&ku½ vf/kfu; e] 2021 ½fcgkj vf/kfu; e&16] 2021½ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

fcgkj&jkT; i ky ds vks&k l j
i kEl kfp&kjh
l jdkj dsl fpoA

[Bihar Act 16, 2021]
THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021
 AN
 ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.—

(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 7.— In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 7, in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

*Explanation.—*For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;”.

3. Amendment of section 16.— In section 16 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;”.

4. Amendment of section 35.— In section 35 of the principal Act, sub-section (5) shall be omitted.

5. Substitution of new section for section 44.— For section 44 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“44. Annual Return- Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.”.

6. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.”.

7. Amendment of section 74.—In section 74 of the principal Act, in *Explanation 1*, in clause (ii), for the words and figures “sections 122, 125, 129 and 130”, the words and figures “sections 122 and 125” shall be substituted.

8. Amendment of section 75. —In section 75 of the principal Act, in sub-section (12), the following Explanation shall be inserted, namely:—

‘*Explanation.*—For the purposes of this sub-section, the expression “self-assessed tax” shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.’.

9. Amendment of section 83.—In section 83 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as may be prescribed.”.

10. Amendment of section 107.—In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent. of the penalty has been paid by the appellant.”.

11. Amendment of section 129.—In section 129 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

- (b) on payment of penalty equal to fifty per cent. of the value of the goods or two hundred per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;”;
- (ii) sub-section (2) shall be omitted;
- (iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- “(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).”;
- (iv) in sub-section (4), for the words “No tax, interest or penalty”, the words “No penalty” shall be substituted;
- (v) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- “(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):
- Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:
- Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.”.

12. Amendment of section 130.—In section 130 of the principal Act, —

- (a) in sub-section (1), for the words “Notwithstanding anything contained in this Act, if”, the word “Where” shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, brackets and figures “amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129”, the words “penalty equal to hundred per cent. of the tax payable on such goods” shall be substituted;
- (c) sub-section (3) shall be omitted.

13. Substitution of new section for section 151.—For section 151 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“151. Power to call information- The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.”.

14. **Amendment of section 152.**—In section 152 of the principal Act, —

(a) in sub-section (1),—

- (i) the words “of any individual return or part thereof” shall be omitted;
- (ii) after the words “any proceedings under this Act”, the words “without giving an opportunity of being heard to the person concerned” shall be inserted;

(b) sub-section (2) shall be omitted.

15. **Amendment to Schedule II.**— In Schedule II of the principal Act, paragraph 7 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

16. **Retrospective effect to the Commercial Taxes Department notification number S.O. 183, dated the 25th November, 2020.**— Commercial Taxes Department notification number S.O. 183, dated the 25th November, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 909, dated the 25th November, 2020 shall be deemed to have been effective retrospectively during the period commencing from the 1st day of October, 2020 and ending with the 24th day of November, 2020 (both days inclusive).

P.C.CHOUHARY,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 673-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>